आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

11.02.2020

## उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0:- R.M.A. 06/2017-18

अनिल गोराई एवं अन्य बनाम महादेव भंडारी

### आदेश

यह वाद में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-05/2009-10 में दिनांक-18.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। इस वाद में उभयपक्षों द्वारा दिनांक-05.10.2017 को दिए गए सुलहनामा के संयुक्त आवेदन को देखा। उक्त आवेदन में उभयपक्षों द्वारा वाद के अग्रेतर कार्यवाही के संदर्भ में अनिच्छा व्यक्त किया गया है। साथ ही अपीलकर्त्ता द्वारा वाद के कार्यवाही में अभिरूचि नहीं रहने के कारण उक्त अपील वाद को वापस करने हेतु प्रार्थना किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उभयपक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उभयपक्षों के अभिरूचि के अभाव में वाद को वापस लेने को स्वीकृति देते हुए इस वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।

11/02/2020

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen by
18/02/2020

Scanned with CamScanner